क्रम संख्या–154

रजिस्ट्रेशन नवम्बर–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/ 2014–16
लाइसेन्स टू पोसट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016

आषाढ़ 31, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3

संख्या 2029/52–3–2016–सा0(5)–2014

लखनऊ, 22 जुलाई, 2016

अधिसूचना

सा0प0नि0–60

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या– 29 सन् 2004) की धारा 24 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित उत्तर प्रदेश मदरसा विनियम 2016, जिसे मदरसा शिक्षा परिषद ने बनाया है, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन एतद्द्वारा यथा अपेक्षित साधारण सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात असंगत न हो, इस विनियमावली परिभाषाएं में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 से है।

(ख) ''विभाग'' का तात्पर्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से है।

(ग) '' जिला मदरसा शिक्षा अधिकारी '' का तात्पर्य जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से है।

(घ) ओरियंटल'' अथवा '' परम्परागत'' विषय का तात्पर्य अरबी, फारसी, उर्दू, हदीस, तफसीर, थियोलाजी/ दीनियात, माकूलात, गणित, इतिहास, भूगोल एवं तिब से है।

(ड़) '' राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(च) ''दक्तूरा'' का तात्पर्य वरिष्ठ एवं पूर्ण शोध कार्यक्रम की उपाधि से है।

(छ) ''अल्लामा'' का तात्पर्य कनिष्ठ शोध कार्यक्रम की उपाधि से है।

(ज) ''फाजिल'' का तात्पर्य बोर्ड की स्नातकोत्तर उपाधि से है।

(झ) ''कामिल'' का तात्पर्य बोर्ड की स्नातक उपाधि से है।

(ण) ''आलिम'' का तात्पर्य बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा के प्रमाण पत्र से है।

(ट) ''मौलवी/ मुन्शी'' का तात्पर्य बोर्ड की दसवीं स्तरीय परीक्षा के प्रमाण पत्र से है।

(ठ) ''हाफिज'' का तात्पर्य कुरान हाफिज प्रमाण पत्र से है।

(ड) '' कारी'' का तात्पर्य तजवीदे कुरान में डिप्लोमा से है।

(ढ) ''फौकानियां'' का तात्पर्य उच्च प्राथमिक कक्षाओं (VI तथा VIII) से है।

(ण) ''तहतानियां'' का तात्पर्य प्रारम्भिक कक्षाओं (एक से पॉच तक) से है।

(त) ''प्रधान'' का तात्पर्य संस्था के प्रधान (अर्थात प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जैसी भी स्थिति हो) से है।

(थ) ''प्रवक्ता/ (मुदर्सिस)'' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो आलिम अथवा उच्च कक्षाओं में अध्यापनार्थ नियुक्त और अथवा मान्य किया गया हो।

(2) ऐसे शब्द और पद, जो इस विनियमावली में परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का तात्पर्य वही होगा जैसा अधिनियम में उनके लिये अनिहित है।

क्रम	विषय	विनियमावली 2016 में वर्णित उपबन्ध/नियम
1	2	3
1	संस्थाओं की मान्यता	3–(क) मदरसा की मान्यता के लिए दो श्रेणियाँ होगी– (एक) स्थायी (ख) अस्थायी (ख) कोई मदरसा, जो स्थायी मान्यता के लिए आवेदन करता है, निर्धारित शर्तें पूर्ण करने के अधीन स्थायी मान्यता प्रदान की जा सकेगी। (ग) समस्त निर्धारित शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में अस्थायी मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा सकेगी कि प्रबन्ध समिति लिखित रूप में से यह आश्वासन दे कि मान्यता के सभी मापदण्डों को अतिशीध्र पूर्ण कर लिया जाएगा। अस्थायी मान्यता पाँच वर्षोपरान्त उसका नवीकरण वांछित होगा। (घ) जिस मदरसा को अस्थायी मान्यता प्रदान की जा चुकी है समस्त वांछित शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त उसकी प्रबन्ध समिति स्थायी मान्यता हेतु आवेदन कर सकेगी। (ड़) प्रत्येक स्तर के मदरसों, जैसे कि 6(2) में है, की मान्यता उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की मान्यता समिति के अनुमोदन से रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान की जायेगी।
2	आवेदन करने हेतु अर्हता	4–मदरसा के संचालन में रूचि रखने वाले मुस्लिम समुदाय की प्रबन्ध समिति के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान की जा सकेगी– (क) यह कि मदरसा की सोसायटी सासाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो। (ख) मदरसा की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद न हो। (ग) मदरसा स्थायी मान्यता की सभी शर्तें पूर्ण करता हो।

<table>
<tr>
<td>3</td>
<td>आवेदन पत्र एवं मान्यता शुल्क</td>
<td>5–(1) पृथक–पृथक अथवा सभी विषयों हेतु विभिन्न स्तर के मदरसों की मान्यता हेतु आवेदन पत्र मदरसा शिक्षा परिषद के अनुमोदन से रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर अवधारित प्रारूप में स्वीकार किये जायेंगे।
(2) निर्धारित प्रारूप सम्बन्धित शुल्क सहित निम्नलिखित सारणी में दिये गये है–
<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>मान्यता स्तर</th><th>आवेदन शुल्क</th><th>मान्यता शुल्क</th><th>सुरक्षित कोष</th><th>विन्यास निधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>तहतानियां</td><td>100.00</td><td>200.00</td><td>1000.00</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>फौकानियां</td><td>100.00</td><td>300.00</td><td>2000.00</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मुंशी / मौलवी</td><td>200.00</td><td>1000.00</td><td>8000.00</td><td>2000.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>टालिम</td><td>200.00</td><td>500.00</td><td>–</td><td>1000.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मुंशी, मौलवी और आलिम की एक साथ मान्यता</td><td>300.00</td><td>1500.00</td><td>8000.00</td><td>3000.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कामिल (महाविद्यालय)</td><td>200.00</td><td>1500.00</td><td>–</td><td>2500.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>फाजिल (आलिया)</td><td>200.00</td><td>1500.00</td><td>–</td><td>2500.00</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>विन्यास एवं सुरक्षित कोष</td>
<td>6–(1) मुन्शी एवं मौलवी स्तर तक की एक बार मान्यता हेतु रूपये 2000/– का नगद या भूमि/ भवन के रूप में विन्यास आवश्यक है। नकद विन्यास जिला अल्संख्यक कल्याण अधिकारी के नाम से बन्धक होगा। यदि विन्यास भूमि अथवा भवन के रूप में हो तो मदरसा प्रबन्धक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं रजिस्ट्रार मदरसा परिषद के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना अन्तरित, विक्रीत अथवा हस्तांरित नहीं किया जायेगा।
(2) प्रत्येक मदरसा हेतु विनिमय 5(2) की अनुसूची के अनुसार सुरक्षित कोष आवश्यक होगा। यह धनराशि भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम से बन्धक होगी।
(3) आवेदन एवं मान्यता हेतु शुल्क की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से निम्नलिखित लेखाशीर्षक में ही जमा की जायेगीः–
''0202'' शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति
''01'' सामान्य शिक्षा
''101'' प्राथमिक शिक्षा
''10'' मदरसों की मान्यता आदि के लिए शुल्क
बालक / बालिका (निस्वां) मदरसों की मान्यता हेतु आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अथवा रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे तथा शुल्क जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किसी कैलेण्डर वर्ष की 01 जनवरी से 31 तक जमा किया जा सकेगा।</td>
</tr>
</table>

5	मान्यता हेतु भवन की शर्तें	7(1) प्रत्येक मदरसे का एक भवन होगा। विभिन्न मदरसों की मान्यता के लिये निम्नलिखित मापदण्ड होंगे– (एक) तहतानियां स्तर–300 वर्ग फीट माप के 03 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग का एक कार्यालय कक्ष। (दो) फौकानियां स्तर–300 वर्ग फीट माप के 05 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग का एक कार्यालय कक्ष। (तीन) मुंशी/मोलवी स्तर–300 वर्ग फीट माप के 09 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग माप के पुस्तकालय सहित कार्यालय 03 कक्ष। (चार) आलिम (सानविया) स्तर–300 वर्ग फीट माप के 11 शिक्षण कक्ष तथा 150 वर्ग माप के पुस्तकालय सहित कार्यालय 03 कक्ष। (पॉच) कामिल (स्नातक) स्तर–उपरोक्त के अतिरिक्त कामिल की प्रत्येक कक्षा हेतु 300 वर्ग फीट माप का एक–एक शिक्षण कक्ष तथा 300 वर्ग माप का एक पुस्तकालय कक्ष। (छः) फाजिल (स्नातकोत्तर) स्तर–उपरोक्त के अतिरिक्त कामिल की प्रत्येक कक्षा हेतु 300 वर्ग फीट माप का एक–एक शिक्षण कक्ष आवश्यक है। (2) पूर्व से ही निर्मित भवन अथवा किराये के भवन के सम्बन्ध में कुछ सीमा तक छूट दी जा सकेगी परन्तु स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु संस्था का निजीभवन उपरिवर्णित मापदण्ड के अनुरूप निर्मित कराना आवश्यक है। (3) स्थायी मान्यता के लिए आवश्यक होगा कि भूमि/ भवन मदरसा के नाम हो अथवा मदरसा की संचालक सोसायटी/ ट्रस्ट के नाम हो और यदि सोसायटी/ ट्रस्ट के नाम हो तो प्रबन्धक/ ट्रस्टी, जो विलेख सम्पादित करने का अधिकार रखता हो अवश्य ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से इस बात का इकरारनामा आवश्यक रूप से करेगा कि वह भूमि (जिस पर मदरसा निर्मित है) उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के लिखित अनुमोदन के बिना न तो बेची जाएगी न ही अन्तरित की जाएगी। मदरसे हेतु वक्फ से प्राप्त भूमि पर निर्धारित मानक के अनुसार मदरसा हेतु निर्मित भवन स्थायी मान्यता के लिए पर्याप्त माना जाएगा। **स्पष्टीकरणः–**निजी भवन का तात्पर्य ऐसा भवन है जो संस्था अथवा उसकी सोसायटी या ट्रस्ट के स्वामित्व की, अथवा संस्था के लाभ हेतु वक्फशुदा, भूमि पर स्थापित है।
6	मान्यता हेतु उपकरण एवं अन्य अपेक्षाएं	8–(1) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु टाट–पट्टी अथवा दरी, छोटी डेस्क/ बेंच और डेस्क/ मेज और कुर्सी की व्यवस्था की जायेगी। अस्थायी मान्यता के लिये भी फौकानियां एवं अन्य उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु डेस्क आवश्यक होगी। श्यामपट्ट, आलमारी, शिक्षकों हेतु कुर्सी मेज एवं अन्य शैक्षिक सामग्री की आवश्यकतानुसार व्यवस्था होनी चाहिए। (2) फौकानियां स्तर तक के पाठ्यक्रम की रूपये 5000/–मूल्य की एवं इससे उच्च स्तर की प्रत्येक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की रूपये 2000/–मूल्य की पुस्तकें आवश्यक हैं। (3) मुंशी/मौलवी स्तर तक की मान्यता के लिए न्यूनतम 150 विद्यार्थी आवश्यक हैं जिसमें मुंशी/मौलवी के विद्यार्थियों की संख्या 30 से कम नहीं होनी चाहिए।

		प्रत्येक उच्चतर कक्षा की मान्यता के लिए वर्तमान वर्ष में न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। (4) मान्यता हेतु आवेदन–पत्र प्रबन्ध समिति द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसे का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 40 दिन के अन्दर विस्तृत निरीक्षण आख्या सहित मान्यता आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को प्रेषित कर दिया जाएगा। (5) निरीक्षण के समय मान्यता की निर्धारित शर्तों में जो कमियां पायी जायेगी, वह मदरसा प्रबन्धतंत्र को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा लिखित रूप में आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अवश्य ही संसूचित की जायेगी। (6) यदि परिषद द्वारा गठित मान्यता समिति किसी मदरसे को मान्यता हेतु उपयुक्त नहीं पाती है तो मान्यता समिति लिखित रूप से इसका कारण स्पष्ट करेगी। (7) मदरसा प्रबन्धतंत्र को रजिस्ट्रार उन कारणों को लिखित रूप से संसूचित करेगा, जिसके कारण प्रश्नगत मदरसा मान्यता के लिये अनुपयुक्त पाया गया है। यदि मदरसे का प्रबन्धतंत्र कमियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनर्विचार हेतु आवेदन करता है तो मान्यता समिति अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी। (8) आवेदक प्रबन्धतंत्र अलगे से पृथक शाखा के लिये आवेदन इस शर्त के अन्तर्गत करेगा, कि प्रश्नगत शाखा 3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित न हो। स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसा जो निजी भवन की शर्त पूर्ण करता हो, का अन्य स्थान पर परिर्वतन/ स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। (9) मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के लिये रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। वर्ष के अन्त तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्र और जो विचाराधीन है, अगले वर्ष के लिये रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे। मान्यता प्राप्त मदरसों के लिये एक स्थायी रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें मान्यता प्राप्त मदरसों की प्रविष्टियॉ रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर के अधीन की जायेगी। (10) मान्यता आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सूचनाएं एवं विवरण संलग्न किये जाएंगे। (क) मुस्लिमों द्वारा स्थापित मदरसे की संस्थापक सोसायटी जो सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, के पंजीकरण/ नवीनीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा उस सोसायटी के संविधान (दस्तूरूल अमल) की प्रमाणित प्रतिलिपि। (ख) प्रबन्ध समिति का विस्तृत विवरण तथा उसके सदस्यों एंव पदोधिकारियों की प्रमाणित सूची, जिसमें उनका नाम, पता तथा व्यवसाय भी अंकित हो। (ग) सभापति एवं प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से प्रमाणित प्रशासन योजना का विवरण जो उसके नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्मित हो।

		(घ) मदरसा की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित इस आशय के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि कि शासन एवं विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का प्रबन्धतंत्र अनुपालन करेगा। (ड़) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का विवरण। (च) कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या। (छ) भूमि एवं भवन सम्बन्धी स्वामित्व के साक्ष्य सहित विवरण। (ज) विन्यास निधि, संरक्षित कोष, मान्यता शुल्क एवं आवेदन पत्र शुल्क का प्रमाण। (झ) गर्त वर्ष का परीक्षाफल (यदि अपेक्षित हो) (य) स्थायी मान्यता यदि पूर्व में प्राप्त की गयी है (यदि प्राप्त की गयी हो)।
7	मदरसा के अभिलेख	9–(1) अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत विहित अभिलेखों के अतिरिक्त प्रत्येक मदरसे में निम्नलिखित अभिलेख भी अनुरक्षित किये जायेंगे। (क) प्रवेश पंजिका (प्रवेश प्रपत्रों सहित), आय व्यय पंजिका (रोकड़बही), लेजर, बाउचर गार्ड फायल तथा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थित पंजीका। (ख) विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। (ग) वेतन वितरण पंजिका। (घ) पुस्तकालय पंजी एवं निर्गम पंजी। (ड़) फिटिंग फिक्सचर स्टाक पंजी। (च) आदेश पंजिका/ सूचना पंजिका/ लेजर पंजी। (छ) प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका एवं कार्यसूची रजिस्टर। (ज) शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा पंजिका तथा चरित्र पंजी (व्यक्तिगत पत्रावली सहित)।
8	मान्यता के बाद सामान्य शर्तें	10–प्रत्येक मान्यता प्राप्त मदरसा निम्नलिखित सामान्य शर्तों का पालन करेगाः– (क) मान्यता प्राप्त मदरसे की प्रबन्ध समिति मदरसा के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करेगी। (ख) मान्यता प्राप्त मदरसों की परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु कोई अतिरिक्त पाठयक्रम या पुस्तकें बिना परिषद के अनुमोदन के लागू नहीं होगी। (ग) मदरसे के संचालन की देखभाल करने वाले प्रबन्धक एवं अन्य व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 के प्राविधानों एवं विनियमावली, 2016 तथा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद तथा विभागों द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशो/आदेशों का पालन किया जायेगा। (घ) मदरसे का निरीक्षण, निरीक्षक अरबी मदरसा तथा रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अथवा निदेशक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। (ड़) प्रबंध समिति सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण का नवीनीकरण कराएगी। मदरसे का संविधान शिया/सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के प्रजातान्त्रिक अधिकारों पर आधारित होगा। (च) सहायता प्राप्त मदरसों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। (छ) शासकीय निधियों से सम्बन्धित मदरसों के समस्त खाते, डाकघर/ राष्ट्रीकृत बैंक में उचित ढंग से अनुरक्षित किये जायेंगे तथा प्रबन्धक एवं जिला

		अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही आहरण किया जा सकेगा। (ज) [सभी विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। दीनियात और अन्य अरबी, फारसी विषयों में अनुदेश का माध्यम पूर्ववत् उर्दू, अरबी, और फारसी में रहेगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर आदि में अनुदेश का माध्यम यथास्थिति उर्दू, हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।][1]
9	मान्यता प्रदान किया जाना	11–मुंशी/ मौलवी/ आलिम/ कामिल/ फाजिल स्तर तक की कक्षाओं एवं परीक्षाओं तथा अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों/ कक्षाओं की मान्यता उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की मान्यता समिति द्वारा दी जायेगी।
10	मान्यता समिति	12– मान्यता समिति में निम्नलिखित होंगेः– (i) अध्यक्ष, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद– अध्यक्ष (ii) उपध्याक्ष, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद– सदस्य (निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0) (iii) अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद के दो सदस्य–सदस्य (iv) रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद–सदस्य/ सचिव
11	मान्यता का निलम्बन एवं प्रत्याहरण	13–(1) निरीक्षक अरबी मदरसा अथवा अध्यक्ष या निदेशक द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा कभी भी मदरसा का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा मदरसे के अभिलेख उसके समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायेगे। यदि निरीक्षण के समय अथवा अन्यथा यह संज्ञान में आता है कि मदरसा मान्यता की एक या अधिक शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो निरीक्षण की कमियों के निराकरण हेतु लिखित निर्देश दिए जायेंगे। (2)–मान्यता की शर्तों एवं परिषद के आदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर परिषद के रजिस्ट्रार, अथवा निदेशक (विभागाध्यक्ष) द्वारा मदरसे को नोटिस दी जायेगी और यदि मदरसे का उत्तर असन्तोषजनक होता है अथवा नियत समय में उत्तर दिया ही नहीं जाता है, तो नोटिस देने के पश्चात मदरसा निलम्बित किया जा सकेगा। मदरसा प्रबन्धतंत्र की ओर से प्रस्तत प्रत्यावेदन पर यदि परिषद का यह समाधान हो जाता है कि मदरसे द्वारा शर्तों का पालन कर दिया गया है, तो निलम्बन प्रतिसंहरित किया जा सकेग। (3) यदि रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता के निलम्बन के बावजूद मदरसा लगातार तीन वर्षों तक शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो परिषद की मान्यता समिति मान्यता का प्रत्याहरण कर सकती है, परन्तु ऐसा करने से पूर्व मदरसा के प्रबन्धतंत्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। (4) यदि अस्थायी मान्यता की अवधि में निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों का अनुपालन नहीं पाया जाता है अथवा नियम/ शर्तों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है तो रजिस्ट्रार विसंगतियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित मदरसा को स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश देगा तथा यदि नियत समय के भीतर दिया गया उत्तर असन्तोषजनक पाया जाता है अथवा उत्तर नहीं दिया जाता है तो मदरसा को नोटिस देने के उपरान्त मान्यता समिति के अनुमोदन से मदरसे को प्रदत्त मान्यता का प्रत्याहरण कर लेगा।

[1] **संख्या–1171/52–3–2018–सा(5)–14 दिनांक 22/24 मई, 2018 के अन्तर्गत विनिमयावली, 2016 के भाग–1, विनियम–10 (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।**

		(5) निलम्बित मान्यता का प्रत्यावर्तन मदरसे की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी। (6) स्थायी मान्यता के प्रत्याहरण की दशा में प्रश्नगत संस्था किसी भी शासकीय अनुदान के लिए अधिकृत नहीं होगा। **टिप्पणीः**—परिषद की समिति के गठित नहीं होने की अवधि के दौरान समस्त कार्य निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश की सहमति/ अनुमति से सम्पादित किये जाएंगे।

आज्ञा से
श्री प्रकाश सिंह
सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण एवं
वक्फ